



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-02072024-255090  
CG-UP-E-02072024-255090

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2396]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946

No. 2396]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 11 जून, 2024

का.आ. 2526(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.-	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा फोर्ट बांदीकुई दोहरीकरण (150 किमी.) रेल लाइन परियोजना	उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान

[फा. सं.: एनसीआर-एचक्यूशून्यसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी  
(कम्प्यूटर संख्या: 114142)

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[North Central Railway (Construction Organization)]**

**NOTIFICATION**

Prayagraj, the 11th June, 2024

**S.O. 2526(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

**TABLE**  
**Special Railway Project**

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	AF-BKI Doubling (150KM) Rail Project	Uttar Pradesh and Rajasthan

[F.No.NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024-O/o DY.CE/C-I/AGC (Computer No.114142)

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Const.)